न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री के.आर. खोड, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या - 133/2017
दिनांक 24/05/2017

कालूलाल पिता सवाईराम जाट जाति जाट उम्र 70 वर्ष निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पिता किशना जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी
2. शम्भुलाल पिता किशना जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
3. रामलाल पिता किशना जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी
4. हरि पिता किशना जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी
5. उच्छब पिता रामपाल सोनी जाति सोनी उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी
6. रामप्रसाद पिता श्रीकिशन जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
7. चांदमल पिता मोहन सोनी जाति सोनी उम्र वयस्क निवासी कौटडी तहसील कौटडी
8. लक्ष्मण पिता हीरा जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी
9. भंवर पिता मांगीलाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी
10. शिराज पिता करीम मंसुरी जाति मंसुरी उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
11. शंकर पिता मथुरा तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी
12. पीरू पिता मोलाबक्ष मंसुरी जाति मंसुरी उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
13. राजस्थान राज्य जरिये भू - धारक तहसीलदार साहब कोटडी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:: निर्णय ::-

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 03/05/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम - कोटडी, पटवार हल्का - कोटडी, भू.अ.नि.क्षैत्र कोटडी, तहसील- कोटडी, जिला-भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की आराजी सं. 3566 रकबा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 3568 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 3572 रकबा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 3574 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 4078 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा कुल कीता 5 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक **कोटडी** को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

-:: आदेश ::-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके **ग्राम - कोटडी, पटवार हल्का - कोटडी, भू.अ.नि.क्षैत्र कोटडी, तहसील- कोटडी, जिला-भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की आराजी सं. 3566 रकबा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 3568 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 3572 रकबा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 3574 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 4078 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा कुल कीता 5 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा** भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें एवं कब्जे संबंधी विवाद नही हो एवं हो तो कब्जा सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर प्राप्त करे। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 600 रूपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा